न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

--

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
131/2020	29.07.2020	13.01.2022

अनवान

1. राजेश पिता कल्लू जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी भावनाथ की खेडी तहसील भदेसर
2. श्यामुडी पत्नि राजेशजाति कंजर उम्र वयस्क निवासी भावनाथ की खेडी तहसील भदेसर

.........वादी

।। बनाम ।।

भूमिधारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

.........प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 88,89राज.काश्त. अधिनियम

उपस्थित–श्री उदय लाल गाडरी वकील वादीगण

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अंतर्गत आदेश 07 नियम 01, 02 जा0दी0 के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके मौजा भावनाथ की खेडी पटवार हल्का भालुण्डीके आराजी नम्बर 18 रकबा 0.010 हैक्टेयर ट्यूबवेल एवं आराजी नम्बर 19 रकबा 0.86 हैक्टेयर स्थित है जिसमें वादीगण का 1/2 हक हिस्सा यानि आराजी नम्बर 19 में 0.43 हैक्टेयर एवं आ0नं0 18 में से रकबा 0.005 हैक्टेयर हक हिस्सा निहित है तथा वादीगण इसी अनुसार वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज चले आ रहे है।

यह कि भू–प्रबंध कर्मचारियो द्वारा भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान वादीगण की आवंटन शुदा साबिक आराजी नं. 01मीन में से 0.86 हैक्टेयर आराजी वादीगण एवं अन्य सहखातेदारान को आवंटित की गई जिसके नये नम्बर आ0नं0 19 रकबा 0.86 हैक्टेयर में से 0.43 हैक्टेयर एवं आ0नं0 18 रकबा 0.01 हैक्टेयर में से 0.005 यानि 1/2 हिस्सा वादीगण को दिया तथा वक्त आवंटन वादीगण को कब्जा भी दे दिया गया तभी से वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:15:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

उक्त अराजी नम्बर 18 एवं 19 के 1/2 हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जबकि सेटलमेंट कर्मचारियो द्वारा जिस जगह पर वादीगण एवं अन्य सहखातेदारान काबिज है उक्त अराजी नम्बर 18 एवं 19 को बिलानाम दर्ज कर दिया तथा वादीगण को आराजी नम्बर 26मी रकबा 0.24 हैक्टेयर, आराजी नम्बर रकबा 0.16 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 651/29 रकबा 0.03कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर पर दर्ज कर दिया जबकि वादीगण आराजी नम्बर 18 एवं 19 पर शुरू से काबिज चले आ रहे है तथा वादीगण व अन्य सहखातेदार ने आराजी नम्बर 18 पर लागत लगाकर ट्यूबवेल खुदवाई एवं आराजी नम्बर19 को काबिल काश्त बनाया। सेटलमेंट के दौरान भूप्रबंध अधिकारियो को वादीगण की आराजीयात को बिलानाम व अन्य आवंटन करने का कोई अधिकार नहीं था फिर भी भू प्रबंध के कर्मचारियो ने अपने अधिकार क्षैत्र से परे जा कर उक्त त्रृटि की है जिससे त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर बिलानाम आराजी नम्बर 19 में से वादीगण का 0.43 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 18 रकबा 0.01 ट्यूबवेल वादीगण व अन्य सहखातेदार के शामलाती की घोषित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक होने से वादीगण के नाम खातेदारी की घोषित की जाना न्यायोचित है।

यहकि साबिक नम्बर 1मीन जिसके नये आराजी नम्बर 19 में से 0.43 हैक्टेयर भूमि एवं चाह नं0 18 रकबा 0.01 हैक्टेयर का 1/2 हिस्से पर वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, लेकिन राजस्व कर्मचारियो की गलती की वजह से वादीगण के राजस्व नक्शे एवं राजस्व जमाबंदी रेकार्ड में परिवर्तन करते हुए वादीगण को आराजी नम्बर 26मी रकबा 0.24 हैक्टेयर, आराजी नम्बर रकबा 0.16 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 651/29 रकबा 0.03 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर पर अंकित कर दिया और आराजी नं0 18 एवं 19 को बिलानाम अंकित कर दिया है जिसे दुरूस्त करते हुए नये आराजी नं0 19 में से 0.43 हैक्टेयर भूमि एवं चाह आराजी नम्बर 18रकबा 0.01 हैक्टेयर [illegible] वादीगण के नाम घोषणा की जाकर वादीगण का नाम राजस्व नक्शे एवं राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:15:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादीगण विरूद्ध प्रतियादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि–

क–मौजा भावनाथ की खेडी प0ह0 भालुण्डी नये आराजी नम्बर 19 में से 0.43 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 18 रकबा 0.01 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्से अनुसार वादीगण के नाम घोषित की जाकर वादीगण का नाम राजस्व नक्शे एवं राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में तरमीम किया जाकर इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीको जरियेसम्मन तलब किया गया। बरोज पेशी पेरोकार सरकार उपस्थित।

तहसीलदार भदेसरको मौका कमीश्नर नियुक्त कर कमीश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया जिस पर तहसीलदार भदेसर के पत्र क्रमांक/राजस्व /2021/874 दिनांक 29.12.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई,रिपोर्ट अनुसार ग्राम भावनाथ की खेडी प0ह0 भालुण्डी की आराजी नम्बर 18, 19 राजकीय बिलानाम एवं खातेदारी आराजी नम्बर 649/3 का मौका देखा गया। आराजी नम्बर 18, 19 में वादीगण का कब्जा होना जाहिर आया। सेटलमेंट से पूर्व आराजी नम्बर 1/15 रकबा 2 बीघा श्री राजेश पिता कल्लू, श्रीमति श्यामुडी पत्नि राजेश कंजर के नाम खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार पुराने नम्बर 1/1मी के नवीन नम्बर 18, 19 भी है। अतः आराजी नम्बर 18 रकबा 0.01 ट्यूबवेल, आराजी नम्बर 19/2 रकबा 0.42 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज किये जाना उचित है।

लायक अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयातपर वादीगण भूप्रबंध से पूर्व से ही काबिज होकर काश्त उपयोग उपभोग कर रहा है। भूप्रबंध द्वारा वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात को बिना किसी सक्षम बिलानाम दर्ज कर दिया जिसे पुनः वादीगण की खातेदारी में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:15:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष अभिलेख का अधोपरान्त अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर न्यायालय वादीगण के कथन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सहमत है,वकील वादीगण के कथन से सहमत है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन,प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार भदेसर से प्राप्त रिपोर्ट के आलोक में वाद वादीगणनिम्न प्रकार डिक्री किया जाता हैकि कृषि आराजीयात मौजा ग्राम भावनाथ की खेडी प0ह0 भालुण्डी के आराजी नम्बर 18 रकबा 0.01 ट्यूबवेल में से 1/2 हिस्सा, आराजी नम्बर 19/2 रकबा 0.42 हैक्टेयर वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है।इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे।इसी आ''ाय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो।निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला - चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:15:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner